

कार्यालय नगर पालिका परिषद बड़कोट-उत्तरकाशी।
पत्रांक-1376/सार्व0/सू0/2025-26, दिनांक-16, जनवरी, 2026

“सार्वजनिक-सूचना”


नगर पालिका परिषद बड़कोट क्षेत्रान्तर्गत स्थाई निवासियों के द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय खाद्यपूर्ति सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राशनकार्डों के लिए आवेदन किया जाता है। जिसके सम्बंध में नगर पालिका परिषद बड़कोट द्वारा क्षेत्रीय खाद्यपूर्ति अधिकारी महोदया बड़कोट के साथ बैठक की गई तथा चर्चा के बाद यह निर्देश प्राप्त हुए हैं कि निकाय क्षेत्रान्तर्गत सभी के आवश्यक दस्तावेज दिनांक-28/02/2026 तक एक साथ नगर पालिका परिषद बड़कोट कार्यालय में जमा कर लिये जायें।

तत्पश्चात खाद्यपूर्ति अधिकारी महोदया बड़कोट के द्वारा पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कर नये राशनकार्ड बनवायें जायेंगे।

अतः सूचना जनहित में जारी।


अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बड़कोट-उत्तरकाशी।

- प्रतिलिपि, 1, जिलापूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
2-उपजिलाधिकारी महोदय जी को सूचनार्थ प्रेषित।
3-क्षेत्रीय खाद्यपूर्ति अधिकारी महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बड़कोट-उत्तरकाशी।

“नये राशनकार्ड आवेदन पत्रों से सम्बन्धित औपचारिकतायें—:

- 1— राशनकार्ड आवेदन पत्र ।
- 2— परिवार रजिस्टर की प्रति ।
- 3— आय प्रमाण—पत्र ।
- 4— परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति ।
- 5— मुखिया की वोटर आई०डी / पेन कार्ड की छायाप्रति ।
- 6— बैंक पास बुक की छायाप्रति ।
- 7— अधिशासी अधिकारी महोदय की संस्तुति ।
- 8— शपथ पत्र (अलग—पृथक परिवार हेतु) ।